न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या–11, बाराबंकी।

सूफिया बानों बनाम मो० वाहिद आदि। ।

परिवाद संख्या–2451/2022
धारा–498A, 323, 504, 506 भा०दं०सं०
व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम।
थाना जहांगीराबाद, जनपद बाराबंकी।

दिनांकः 27.07.2026

प्रार्थी/अभियुक्त **मो० वाहिद** की ओर से मुकदमा परिवाद संख्या–2451/2022, धारा– 498A, 323, 504, 506 भा०दं०सं० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम थाना जहांगीराबाद, जनपद बाराबंकी में जमानत हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में है।

जमानत प्रार्थना–पत्र अभियुक्त की ओर से इस आशय का दिया गया है कि प्रार्थी निर्दोष हैं, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी अन्तरिम जमानत पर है तथा उसने अंतरिम जमानत का दुरूपयोग नहीं किया है। प्रार्थी अपनी जमानत दाखिल करने को तैयार है। अतः निवेदन किया गया है उसका जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर लिया जाये।

सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी/अभियुक्त पूर्व में अन्तरिम जमानत पर था। अभियुक्त द्वारा अंतरिम जमानत का दुरूपयोग नहीं किया गया है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त द्वारा 20,000/–(बीस हजार) रूपये का व्यक्तिगत एवं समान धनराशि की एक प्रतिभू दाखिल करने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

प्रभारी अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कक्ष सं०–11, बाराबंकी।

<u>न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या–11, बाराबंकी।</u>

<u>सरकार बनाम अतुल आदि।</u>

मु०अ० संख्या–342/2023
धारा–498A, 323, 504, 506 भा० द० सं०
व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम
थाना जहांगीराबाद, जिला बाराबंकी।

<u>दिनांकः 15.05.2025</u>

प्रार्थी/अभियुक्त अतुल वर्मा पुत्र विनोद की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–342/2023, धारा 498A, 323, 504, 506 भा०द०सं० व 3/4 दहेज प्रतिषेध

अधिनियम, थाना जहांगीराबाद, जिला बाराबंकी में अन्तरिम जमानत बढ़ाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी/अभियुक्त पूर्व में अन्तरिम जमानत पर था। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त द्वारा **20,000/– (बीस हजार) रूपये** का व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर उसे **दिनांक** 02.06.2025 तक अन्तरिम जमानत पर रिहा किया जाता है।

प्रार्थी/अभियुक्त नियमित जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई हेतु **दिनांक** 02.06.2025 को न्यायालय में उपस्थित हो। नियमित जमानत प्रार्थनापत्र पर यदि कोई आपत्ति हो तो प्रस्तुत किया जाये। सुलह–समझौता केन्द्र से आख्या आहूत हो।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कक्ष सं०–11, बाराबंकी।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या–11, बाराबंकी।

सरकार बनाम अतुल आदि।

मु०अ० संख्या–342/2023

धारा–498A, 323, 504, 506 भा० द० सं०
व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम
थाना जहांगीराबाद, जिला बाराबंकी।

दिनांकः 29.04.2025

प्रार्थी/अभियुक्त अतुल पुत्र विनोद की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–342/2023, धारा 498A, 323, 504, 506 भा०द०सं० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना जहांगीराबाद, जिला बाराबंकी में अन्तरिम जमानत बढ़ाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी/अभियुक्त पूर्व में अन्तरिम जमानत पर था। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त द्वारा **20,000/– (बीस हजार) रूपये** का व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर उसे **दिनांक** 15.05.2025 तक अन्तरिम जमानत पर रिहा किया जाता है।

प्रार्थी/अभियुक्त नियमित जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई हेतु **दिनांक** 15.05.2025 को न्यायालय में उपस्थित हो। नियमित जमानत प्रार्थनापत्र पर यदि कोई आपत्ति हो तो प्रस्तुत किया जाये। सुलह–समझौता केन्द्र से आख्या आहूत हो।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कक्ष सं०–11, बाराबंकी।

Bail No– 1644/20245

CNR No– UPBB040016452025

सरकार बनाम सन्तोष कुमार।

मुक़दमा अपराध संख्या– **331/2024**

अंतर्गत धारा – **115(2),351(2),352,109 B.N.S.**

थाना– घुंघटेर, जनपद– बाराबंकी

09.01.2025

प्रस्तुत ज़मानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त सन्तोष कुमार पुत्र छोटेलाल की ओर से मुक़दमा अपराध संख्या– **331/2024**, अंतर्गत धारा – **115(2), 351(2), 352, 109 B.N.S.,** थाना– घुंघटेर, जनपद– बाराबंकी प्रस्तुत कर ज़मानत की याचना की गयी।

पत्रावाली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 05.01.2025 से जेल में निरूद्ध हैं।

विद्वान अभियोजन अधिकारी की आख्या के अनुसार अपराध अजमानतीय है एवं मा० सत्र न्यायालय द्वारा परिक्षणीय है तथा जमानत का प्रबल विरोध किया गया है।

ज़मानत प्रार्थना पत्र पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान सहायक लोक अभियोजक को सुना व पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया।

अभियुक्त द्वारा कारित अपराध संज्ञेय व अजमानतीय प्रकृति का है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों व कारित अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए ज़मानत का आधार पर्याप्त नहीं हैं, प्रार्थना पत्र ख़ारिज किए जाने योग्य है। तदनुसार आदेश।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त सन्तोष कुमार पुत्र छोटेलाल का ज़मानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
न्यायालय सं०–48, **बाराबंकी।**
JO Code No. UP2613